परियोजना का नाम :– ग्राम–नौगांव चक, थानों रेंज, जनपद–देहरादून में उत्तराखण्ड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

प्रपत्र–23

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नौगांव चक थानो
तहसील ~~देहरादून~~ ऋषिकेश, जिला देहरादून।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत उत्तराखण्ड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा परियोजना के निर्माण हेतु (5.00 है0 आरक्षित/संरक्षित वन भूमि, ––X––– है0 सिविल सोयम भूमि.... X .. है0, वन पंचायत भूमि––X––– है0) अर्थात कुल 05.00 है0 वन भूमि का होमगार्ड्स एवं ना० सुरक्षा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नौगांव चक द्वारा दिनांक 25/11/13 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत थानो के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि होमगार्ड एवं ना० सु० विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ह0/–

ग्राम सचिव ग्राम प्रधान

(मोहर: ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत थानो, विकास खण्ड-रायपुर, जि०-देहरादून)

(मोहर: ग्राम पंचायत थानो, Shashi, प्रधान, वि०ख० रायपुर, दे०दून)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम :– ग्राम–नौगांव चक, थानों रेंज, जनपद–देहरादून में उत्तराखण्ड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

प्रपत्र–23.1

दिनांक 25/11/13 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत नौगांव चक

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	उदय सिंह	[signature]
(2)	अरशद अली	Arshad Ali
(3)	संजय कुमार	संजय कुमार गुप्ता
(4)	सुजाता	[signature]
(5)	मनोज कुमार	Manoj
(6)	तेग सिंह	तेग सिंह
(7)	जमावर सिंह	जमावर सिंह
(8)	राकेश कुमार	[signature]
(9)	नेत्रपाल सिंह	नेत्रपाल सिंह
(10)	सोनिया	सोनिया
(11)	विक्रम सिंह	विक्रम सिंह
(12)	सुनील कुमार	सुनील कुमार
(13)	अनिता	अनिता
(14)	वसीम अकरम	Wasim Akram
(15)	नफीसा	नफीसा
(16)	धीरेन्द्र सिंह	[signature]
(17)	राजवीर सिंह	[signature]

मेरे संज्ञान में है कि उक्त भूमि पर कोई आबादी / घर नहीं है।

ह0 / –

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत थानों
Shashi
प्रधान
विकासखण्ड रायपुर, दे.दून

परियोजना का नाम :– ग्राम–थानों (नौगांव चक), थानों रेंज, जनपद–देहरादून में उत्तराखण्ड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।

प्रपत्र–23.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ऋषिकेश

उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत थानों (नौगांव चक) (5.00 है0 आरक्षित/संरक्षित वन भूमि, -x- है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि .x... है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 5.00 है0 वन भूमि) का हो०गा० एवं नागरिक सुरक्षा विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ऋषिकेश) की दिनांक 19.12.2013 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय उपजिलाधिकारी ——————अध्यक्ष
2– श्री भरत सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी——————सदस्य
3– श्री बी.डी. रतन सहायक समाज कल्याण अधिकारी——————सदस्य/सचिव
4– श्री ——————बी0डी0सी0 क्षेत्र ——————सदस्य

उप जिलाधिकारी ऋषिकेश
उप प्रभागीय वनाधिकारी ऋषिकेश देहरादून वन प्रभाग, देहरादून
सहायक समाज कल्याण अधिकारी रायपुर, देहरादून

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम थानों (नौगांव चक) में उत्तराखण्ड होमगार्डस एवं नागरिक सुरक्षा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान परियोजना हेतु 5.00 है0 वन भूमि होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ऋषिकेश द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत उत्तराखण्ड हे0ग्रा0 एवं ना0कु0 के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान परियोजना के निर्माण हेतु 5.00 है0 वन भूमि हि0ग्रा0 एवं ना0कु0 HMDF प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–.................................
जनपद उप जिलाधिकारी ऋषिकेश

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– उप जिलाधिकारी
जनपद ऋषिकेश

परियोजना का नाम :— ग्राम—थानों (नौगांव चक), थानों रेंज, जनपद—देहरादून में उत्तराखण्ड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।

प्रपत्र—23.3

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र

जनपद देहरादून के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित उत्तराखण्ड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान परियोजना के निर्माण हेतु 05 है0 वन भूमि उत्तराखण्ड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति दिनांक: 19.12.2013 तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण—पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0/—

जिलाधिकारी
District Magistrate
Dehra Dun.

नोट :— उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण—पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने हैं। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

65

परियोजना का नाम :– ग्राम–थानों (नौगांव चक), थानों रेंज, जनपद–देहरादून में उत्तराखण्ड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।

प्रपत्र–23.4

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित उत्तराखण्ड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान परियोजना के निर्माण हेतु 05 है0 वन भूमि उत्तराखण्ड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

ह0/–

जिलाधिकारी
District Magistrate
Dehra Dun.